International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 17-11-2024, Accepted: 18-12-2024, Published: 02-01-2025
Volume 7, Issue 1, 2025, Page No. 1-4

सतत विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नीतियों का विश्लेषण

डॉ0 सपना
राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
विकास और प्रगति की राह में भारत ही नहीं अपितु वैश्विक समुदाय का प्रत्येक वर्ग (महिला, बच्चे, गरीब, अमीर, हासिये पर स्थित लोग, पर्यावरण, संस्कृति आदि) की सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य है। महत्वपूर्ण यह है कि विकास अपने साथ विनाश लेकर आता है, जिसके अन्तर्गत विनाश, हमारी सम्भावनाओं का, विनाश हमारी सुख शांति का अन्तर्निहित होता है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति द्वारा जनित विनाशकारी सम्भावनाओं की परिणति हम परमाणु हथियारों के साथ–साथ हिरोशिमा और नागाशाकी के रूप में देख सकते हैं। इतना ही नहीं वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण आदि जैसी घटनायें इन्ही विकास प्रक्रियों के ही दुष्परिणाम हैं। इस सन्दर्भ में वैश्विक स्तर पर एक सराहनीय पहल की गयी, 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य' के रूप में, जिसके अन्तर्गत कुल 8 उद्देश्य एवं 18 लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। इसके उपरान्त 'सतत विकास लक्ष्यों' की घोषणा सन् 2014 में की गयी तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 15 वर्ष का लक्ष्य रखा गया, जिसकी अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2030 है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से इस ओर विभिन्न सार्थक कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे कि सन् 2030 में सतत विकास सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मुख्य शब्दः सतत विकास लक्ष्य, वैश्विक समुदाय, नीतियाँ, विकास, उद्देश्य आदि

शोध प्रविधिः यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन से लाभः
इस लेख के अध्ययन से अध्ययनकताओं तथा शोधार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगेः–

- अध्ययनकर्ता को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य व सतत विकास लक्ष्य की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- इससे सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करनें में भारत के उत्पन्न होने वाली चुनौतियों एवं उसके समाधान के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण उभर कर सामने आएगा।
- अध्ययनकर्ता को सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करनें में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही नीतियों के प्रभाव एवं भविष्य के सम्भावनाओं के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण उभर कर सामने आएगा।

प्रस्तावना
विकास की सम्भावनाओं के विभिन्न पर्यावरणीय एवं अन्य समस्याओं के प्रति सजग वैश्विक समुदाय द्वारा सतत पोषणीय विकास पर अत्यधिक बल दिया जाना आरम्भ हुआ है। इस आलोक में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति वैश्विक समुदाय द्वारा अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गयी। वैश्विक समुदाय सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति अग्रसर है। मगर सतत विकास लक्ष्यों में सम्मिलित उद्देश्यों में कई लक्ष्य और उद्देश्य ऐसे भी हैं जो एक चिन्ताजनक परिदृश्य की ओर संकेत करते हैं जिनकी प्राप्ति की दिशा में विभिन्न बहुपक्षीय सम्मेलनों के माध्यम से विभिन्न देशों के राजनेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिससे एक सतत एवं स्थायी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। वर्ष 2014 में सतत विकास लक्ष्यों की नींव रखी गयी तथा 1 जनवरी 2016 से उन लक्ष्यों की प्रभावी बनाते हुये 31 दिसम्बर 2030 को इन लक्ष्यों हेतु सूर्यास्त तिथि निर्धारित की गयी।

भारतीय नीतियाँ एवं सतत विकास लक्ष्य
भारत वैश्विक मंच पर सदैव सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति प्रेरित और सजग रहा है क्योंकि विकास के दूसरी ओर एक स्याह वास्तविकता (निर्धनता, असमानता, पर्यावरणीय क्षति, संसाधनों का अति दोहन एवं संसाधनों के खत्म होने की सम्भावना, वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, उर्वरता में कमी, ओजोन क्षरण) भी है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यदि हम भारत द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत इन समस्याओं की ओर 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य' एवं 'सतत विकास लक्ष्य' की घोषणाओं के बाद ध्यान देना प्रारम्भ किया है। भारत द्वारा इन समस्याओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बहुत पहले ही प्रदर्शित की जा चुकी है। यदि हम भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीन सूचियों की बात करें तो उसके अन्तर्गत अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है, जिसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों' एवं 'सतत विकास लक्ष्यों' के साथ है। इन कार्यात्मक विषयों में 'उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकि संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण', 'लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता', 'पशुधन का परिरक्षण, जीव जंतुओं के रोगों का निवारण', 'पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण', 'वन, वन्य जीव जन्तुओं व पक्षियों का संरक्षण' आदि के साथ–साथ संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय, यथा,– 'पेयजल', 'अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत', 'गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम', 'शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी है', 'तकनीकि प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा', 'पुस्तकालय', 'स्वास्थ्य एवं स्वच्छता', जिसके अन्तर्गत अस्पताल, महिला एवं बाल विकास, दुर्बल वर्गों का और विशिष्टत्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण आदि सम्मिलित हैं'। समय के साथ–साथ सतत विकास की संकल्पना विस्तृत हुई है तथा इस अवधारणा के लिए विभिन्न उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा संकेतकों के समूह विकसित किये गये हैं तथा भारत सहित अन्य विभिन्न देशों द्वारा इनकी प्राप्ति के लिए अपनी राजनीतिक व रणनीतिक प्रतिबद्धताएँ भी व्यक्त की गयी ताकि इस दिशा में हुई प्रगति का आवश्यक आकलन किया जा

सके तथा इस परिप्रेक्ष्य में भविष्य में वांछित कदम उठाया जा सके।

भारत सरकार द्वारा इस परिप्रेक्षय में बहुत पहले से ही काम किये जा रहे हैं। सन् 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विदित है कि यह सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण के बेहतर प्रबन्धन के लिए विभिन्न सिद्धान्तों एवं वचनबद्धताओं को अपनाया गया। इस सन्दर्भ में सम्मेलन के अन्तर्गत 'स्टॉकहोम घोषणा' एवं 'मानव पर्यावरण के लिए कार्य योजना' के साथ–साथ अन्य अनेक प्रस्ताव सम्मिलित किये गये। इस सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस सम्मेलन में प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 'निर्धनता उन्मूलन' के विषय को सतत पोषणीय विकास के केन्द्र बिन्दु में सम्मिलित करने की बात की गई तथा वह इस विषय को सतत पोषणीय विकास के केंद्र बिन्दुओं में सम्मिलित करने में सफल भी हुई।

सन् 1970 के दशक में भारतीय संविधान में अनेक संशोधन किये गये तथा इन संशोधनों के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दे तथा इसके विभिन्न घटकों को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सर्वोच्च उद्देश्यों व प्राथमिकताओं में रखे गये। विदित है कि सन् 1976 में किये गये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के भाग–4 में संशोधन करते हुये तीन नये निर्देशक तत्व जोड़े गये। संविधान में जोड़े गये निदेशक तत्वों में 'पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा' सतत विकास से सम्बंधित है। इसी तरह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही सातवीं अनुसूची में सम्मिलित राज्य सूची से 'शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण' के साथ–साथ कुल पांच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित कर दिये, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी विषयों पर विधायन की शक्ति राज्यों के साथ साथ केन्द्र सरकार तक भी विस्तारित हो गयी। इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नया भाग–4क जोड़ा गया, जिसमे एक मात्र अनुच्छेद–51क सम्मिलित है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक मूल कर्तव्य के रूप में "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिजात के प्रति दया का भाव रखें" को रखा गया है। सन् 2002 में भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से '6 से 14 वर्ष के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना' एक मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। विदित है कि ऐसे विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किये गये उक्त प्रावधान कहीं न कहीं 'सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य' व 'सतत विकास लक्ष्य' के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है जो कि भारत सरकार की वैश्विक समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूकता, प्रतिबद्धता एवं दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है।

भारत सरकार द्वारा धारणीय या सतत पोषणीय विकास की दिशा में अच्छे परिणामों के उद्देश्य से नई संस्थागत प्रक्रिया (New Institutional Machanism) को अपनाया गया। इस नई संस्थागत प्रक्रिया के अन्तर्गत सन् 1974 में 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' (CPCB- Central Pollution Control Board) की स्थापना की गयी, जिसके उपरान्त राज्यों के स्तर पर 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों' की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण तथा उसके विभिन्न घटकों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अनेक कानून भी पारित किये गये, जिनमे से कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:–

- वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम–1972 The Wildlife (Protection) Act-1972.
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (The Environmet Protection Act.1986).
- जैव विविधता अधिनियम 2002 (The Biological Diversity Act. 2002)
- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम–2010 (National Green Tribunal Act–2010)

पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसे विषय पर अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुये भारत सरकार द्वारा सन् 1992 में 'गैर परम्परागत ऊर्जा मन्त्रालय' का गठन किया गया। सन 2004 में 'गैर परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके 'नवीन व पुनर्नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालय' (Ministry of New and Renewable Energy) कर दिया गया। इस मन्त्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगा वाट अर्थात् 175 गीगा वाट पुनर्नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया था जबकि सन् 2030 के लिए यह लक्ष्य 500 गीगा वाट का है। विदित है कि 31 मार्च 2023 तक 12,51,59 मेगा वाट (125.159 गीगा वाट) का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सन् 2022 के लिए निर्धारित 175 गीगा वाट के लक्ष्य से बहुत कम है।

स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण

स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा सन् 2016 में 'प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016' लाया गया तथा इस नियम में सन् 2021 में संशोधित करते हुये 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय' द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से सिंगल यूज (एकल उपयोग) प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा 1 जुलाई 2022 में 'पॉलीस्टाइनिन' से निर्मित प्लास्टिक को भी प्रतिबन्धित कर दिया। इसके साथ–साथ सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य संख्या 06 अर्थात् 'स्वच्छ जल और स्वच्छता' के सन्दर्भ में 'नमामि गंगे मिशन', 'स्वच्छ भारत मिशन', 'जल जीवन मिशन', 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति' जैसी नीतियाँ एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 'मुख्यमन्त्री नगर सृजन योजना' का प्रारम्भ वित्त वर्ष 2017–18 में किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 'स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी की उपलब्धता', 'ठोस अपशिष्ट पदार्थों के समुचित निस्तारण', 'शहरी क्षेत्रों में सड़क मार्ग पर प्रकाश की उपलब्धता सुनिश्चित करना' आदि उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार के उद् देश्यों के साथ एक अन्य योजना के रूप में 'पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना' भी संचालित की जा रही है। स्वच्छता के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'स्वच्छ भारत मिशन' के अन्तर्गत 'स्वच्छ भारत मिशन नगरीय' का संचालन भी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ शिक्षा क्षेत्र में एकरूपता स्थापित करना है। इसके साथ–साथ छात्रों के मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, कौशल विकास को भी इसके उद्देश्यों में सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा तकनीकि व कौशल के विकास एवं नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ–साथ 'मध्यान्ह भोजन योजना', 'सर्व शिक्षा अभियान', 'सब पढ़ें सब बढ़ें', 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ,' 'उत्तर प्रदेश निःशुल्क शिक्षा योजना', 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान', 'अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप', 'उन्नत भारत अभियान', 'पंख', 'परख', 'प्रेरणा' आदि जैसे कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विदित है कि मध्यान्ह भोजन योजना का नाम परिवर्तित करके 'प्रधानमन्त्री पोषण शक्ति निर्माण योजना' कर दिया गया है। निःसन्देह उक्त योजना एवं कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उपरान्त शिक्षा क्षेत्र में होने वाले संस्चनात्मक परिवर्तन के परिणामस्वरूप शिक्षा क्षेत्र में सम्भावनायें अत्यधिक प्रबल एवं समृद्ध प्रतीत हो रही हैं।

लैंगिक समानता

लैंगिक समानता के क्षेत्र में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से भारतीय संघ को त्रिस्तरीय विस्तार देते हुये पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत) तथा नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों) में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है। इस आरक्षण को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है। विदित है कि ये सभी आरक्षण चक्रानुक्रम में लागू होता है। भारतीय संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधान सभा तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके साथ–साथ भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है, जिनमें 'प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना', 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना', 'फ्री सिलाई मशीन योजना,' 'महिला शक्ति केन्द्र योजना, 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'मातृत्व लाभ अधिनियम–1961', 'घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम– 2005', 'मुख्य मन्त्री कन्या सुमंगला योजना,' 'उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष' आदि का संचालन किया जा रहा है।

सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा

सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा सन् 2047 अर्थात् 'आजादी की 100वीं वर्ष गांठ पर भारत को ऊर्जा स्वतन्त्र के रूप में रूपान्तरित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ सन् 2070 तक भारत द्वारा 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' के लक्ष्य को प्राप्त करने की वचनबद्धता प्रदर्शित की गयी है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) प्रारम्भ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आयातित जीवाश्म ईंधन पर निरर्भता में कमी' करके 'ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सुजन करना' है।

ट्रेवेल फॉर LiFE

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 नवम्बर 2021 को युनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सम्बोधित करते हुये ट्रेवेल फॉर LIFE का प्रस्ताव रखा गया। यहाँ LiFE शब्द "Lifestyle for Environment" का संक्षिप्त नाम है, जिसका तात्पर्य है "पर्यावरण के लिए जीवन शैली"। इसके अन्तर्गत कुल आठ मुख्य विषय सम्मिलित किये गये हैं:–

- ऊर्जा की बचत
- जल की बचत
- एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार
- अपशिष्ट को कम करना
- स्थानीय व्यवसायों और समुदायों का सशक्तीकरण
- स्थानीय संस्कृति व धरोहर का सम्मान
- स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन
- प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण

विदित है कि उक्त आठ मुख्य विषयों में से प्रथम चार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्यों से है जो कि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति वचनबद्धता को प्रदर्शित करता है।

नवाचार

भारत में नवाचार एवं आर्थिक विकास को दृष्टि में रखते हुये अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनमें मेक इन इण्डिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि ऐसे कदम हैं जो देश की आर्थिक समृद्धि में अत्यन्त सहायक सिद्ध हो रहे है। इसके साथ–साथ भारत इण्टरनेट उपभोगकर्ताओं के मामले में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा 'इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च', 'रामानुजन फैलोशिप', 'स्मार्ट इण्डिया हैकथान', 'अटल नवाचार मिशन' आदि महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

गरीबी उन्मूलन

गरीबी उन्मूलन एवं असमानताओं में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 जून सन् 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का प्रारम्भ किया, जिसमें ऐसे परिवारों को लाभार्थी के रूप में सामिलित किया गया है, जिसके किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं है। इसके साथ साथ पूर्व में संचालित 'स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना' का नाम परिवर्तित करके 31 मार्च 2014 को 'दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के रूप में नामकरण किया गया।

सतत विकास सूचकांक – 2023 व 2024

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (United Nation Sustainable Development Solutions Network-UNSDSN) द्वारा प्रत्येक वर्ष सतत विकास सूचकांक जारी किया जाता है जो कि 'सतत विकास हेतु 2030 एजेण्डा (The 2030 Agenda for Sustainable Development) पर आधारित है। UNSDSN द्वारा 21 जून 2023 को सतत विकास सूचकांक की घोषणा की गयी, जिसमे सम्मिलित 166 देशों में 86.8 स्कोर के साथ फिनलैण्ड प्रथम स्थान पर रहा जबकि 38.7 के स्कोर के साथ दक्षिण सूडान अन्तिम पायदान अर्थात 166वें स्थान पर रहा है जबकि इस सन्दर्भित सूचकांक में भारत 63.4 के स्कोर के साथ 112वें स्थान पर था। वहीं दूसरी तरफ सतत विकास सूचकांक 2024 में 86.35 के स्कोर के साथ फिनलैंड प्रथम स्थान पर, 40.1 के स्कोर के साथ दक्षिण सूडान इस बार भी अन्तिम पायदान (अर्थात् 166वें स्थान) पर हैं जबकि भारत 63.99 के स्कोर के साथ 109वें स्थान पर है। निःसन्देह भारत की रैंकिंग में सतत विकास सूचकांक 2023 के अपेक्षा सतत विकास सूचकांक 2024 में तीन स्थानों का सुधार हुआ है तथापि अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

निष्कर्ष

वैश्विक समस्याओं के समाधान एवं भावी पीढ़ी की सम्भावनाओं को ध्यान में रख कर वैश्विक समुदाय द्वारा समय समय पर आवश्यक करम उठाये जाते रहे हैं। इसी क्रम में, सन् 2000 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एवं सन् 2014 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की गयी। इन घोषणाओं के पूर्व से ही भारत उक्त घोषणाओं में सम्मिलित उद्देश्यों के प्रति सजग रहा है तथा विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियम, कानून, नीति आदि के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ऐसे संवेदनशील विषयों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया, जिन्हें बाद में उक्त सन्दर्भित लक्ष्यों में भी सम्मिलित कर लिया गया। भारत सरकार द्वारा उक्त विषयों को न केवल संविधान में स्थान दिया गया बल्कि उस ओर आवश्यक एवं ठोस कदम उठाये गये। यही कारण है कि भारत विश्व के उन चुनिन्दा देशों में सम्मिलित है जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर हैं। मगर अभी भी सतत विकास लक्ष्य के कई उद्देश्य ऐसे हैं, जिनमें भारत का प्रदर्शन अधिक उत्साहजनक नहीं है। अतएव इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

सन्दर्भ सूची

1. P. Shivkumar and S. Irudaya Rajan: Sustainale Development Goals and Migration: Roultedge India, 1st edition (24 December 2021)
2. R. Warren Flint: Practice of Sustainable Community Development: A Praticipatory Framework of Change Springer Verlag New York, 18 October 2012.
3. Oman Sukmana, Salahudin, Iqbal Robbie, Ali Raziqin, Shannaz Mutiara Deniar, Iradhad T. Sihidi and Dedik F. Suher Manto (Edited): Social and Political Iissues on Sustainable Development in the Post COVID-19 Crisis, Roultedge, 24 may 2022.
4. M.C. Dash: Concepts of Environmental Management for Sustainable Development, Dreamtech Press, 1 January 2019.
5. सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की प्रगतिः चुनौतियाँ एवं अवसर, बिजनेस स्टैण्डर्ड, 3 जुलाई 2024
6. लक्ष्यों के लिए एस0 डी0 जी0 17 साझेदारी– भारत का दृष्टिकोण और पहल, भारतीय वैश्विक परिषद, सप्रू हाउस, नई दिल्ली, 21 जुलाई 2023.
7. भारत पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने का मंशा रखता हैः प्रधानमन्त्री मोदी, द हिन्दू, 26 अप्रेल, 2023.
8. 'एच0 टी0 जी–20 एजेण्डाः महिला के नेतृत्व वाली प्रगति भारत के लिए एक प्रमुख G–20 एजेण्डा है, हिन्दुस्तान टाइम्स, 18 जुलाई 2023.